

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
हरबंस सिंह आदि बनाम नरेन्द्र सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए, नम्बर 12 सन् 2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / 167

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

06.05.2025

प्रार्थी हरबंस सिंह पुत्र रामकिशन सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए के साथ प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। रास्ता की भूमि के संबध में रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को पेश हो।

नोटिस जारी
218
6/5/25

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व):
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

रत 5/25

आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के द्वारा अज किया कि उक्त अनवान प्रकरण में कानूनी त्रुटि के कारण प्रार्थी प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते। दावा पुनः पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए। दावा वापिस लेयाया जावे। प्रार्थी को सूना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTA नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर से कम होकर वापस ल फिटर हो।

ए 20 न्या किड
ADU
NOT PASS



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)